N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0123 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/06/2024 19:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 25/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:40 बजे **Time To (समय तक):** 10:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/06/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/06/2024 19:15:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Tea Shop Out Side of, Police Station Laxmangarh

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Manoj Kumar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Ganeshram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Narodara, LAXMANGARH(SIKAR), SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Naroddha, LAXMANGARH(SIKAR), SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAGHUVEER MEENA		पिता:PRBHUDAYAL MEENA	1. KUSHALPURA,DADIYA,SIKAR,
2	MANOJ KUMAR		पिता:CHATRA	1. SHYAORAWLEE,डीग, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर विषय- रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं मनोज कुमार पुत्र श्री गणेशराम निवासी नरोदडा़ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर का निवासी हूँ। दिनांक 11.06.2024 को मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन नं. से फोन आया और फोन करने वाले ने अपने आप को यू0पी0 पुलिस का हवलदार बताते हुये मुझसे कहा कि मेरे खिलाफ हाथरस थाने पर साईबर ठगी का प्रकरण दर्ज हो रखा है, जिसके अनुसंधान में वह लक्ष्मणगढ थाने पर आया हुआ है और मुझे उन्होने लक्ष्मणगढ थाने पर बुलाया तो मैं शाम को लक्ष्मणगढ थाने पर गया तो वहाँ पर मुझे यू0पी0 पुलिस के मनोज कुमार हवलदार मिले और उनके साथ लक्ष्मणगढ थाने के हवलदार श्री रघुवीर सिंह मिले। मिलने पर श्री रघुवीर सिंह हवलदार व श्री मनोज हवलदार ने मुझे उक्त साईबर फ्राड के मुकदमें में गिरफ्तार करने की धमकी दी, ओर कहा कि यदि तू हमें अभी दस हजार रूपये मंगवाकर दे देगा तो तेरे को हम गिरफ्तार नहीं करेगें और तेरे प्रकरण में एफआर लगा देगें। मैने अपने पास दस हजार नहीं होने के बारें में उन लोगों को बताया तो वो मुझे और धमकाने लगे जिसके बाद आखरी में श्री मनोज हवलदार ने मुझे कहा कि अब तो तू तेरे घर चला जा और एक-दो दिन में दस हजार रूपये की व्यवस्था करके इन रघुवीर जी हवलदार को लक्ष्मणगढ थाने पर आकर दे जाना और फिर उसी वक्त पास खडे़ हवलदार रघुवीर जी ने मुझसे कहा कि तू एक-दो दिन में अपने थाने पर आकर मुझे दस हजार रूपये दे जाना तेरा मामला रफा दफा करवा देगें। इसके बाद मैने उनसे मेरे खिलाफ दर्ज प्रकरण के नम्बर आदि पूछे तो उन्होने कहा कि तू दस हजार रूपये दे देगा तब ही तुझे तेरे खिलाफ दर्ज प्रकरण की पूरी जानकारी देगें। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। इसके बाद मेरे पास दस हजार रूपये की व्यवस्था नहीं होने पर मैं लक्ष्मणगढ थाने नहीं गया तो आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे फोन नं. पर लक्ष्मणगढ थाने से रघुवीर जी हवलदार के मोबाईल नं. से फोन आया और उन्होने मुझसे धमकाते हुये दस हजार रूपये की मांग की और कहा कि मै पैसे मैं उनको नहीं दूंगा तो वे मुझे गिरफ्तार करके हाथरस जेल भिजवा देगें। इस पर मैने उनको जल्द ही पैसे की व्यवस्था करके उनके पास आने की कही तो उन्होने मुझे कहा कि तूं पँाच-सात दिन मे पैसे लेकर नहीं आया तो तुझे मै घर से गिरफ्तार कर लाउंगा और फिर उन्होने फोन काट दिया। मै श्री रघुवीर सिंह हवलदार को रिश्वत में दस हजार रूपये नहीं देना चाहता हूँ बल्कि उसके खिलाफ मेरे से दस हजार रूपये लेते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मे कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। एसडी- मनोज कुमार, मनोज कुमार पुत्र गणेशराम ग्राम नरोदडा लक्ष्मणगढ सीकर मो0 दि0 14.06.2024, कार्यवाही शुरू की जाती है, एसडी सुरेशचन्द पु0नि0 एसीबी सीकर दि0 14.06.2024, एसडी-धर्मेन्द्र कुमावत दि0 25.06.2024, एसडी-भवानी सिंह दि0 25.06.2024 कार्यवाही पुलिस 14.06.2024 12.40 पीएम इस समय परिवादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री गणेशराम जाति ब्राहम्ण उम्र 35 वर्ष, निवासी नरोदड़ा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर उपस्थित चौकी आया व मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र मय अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड की फोटो प्रति के प्रस्तुत की। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री मनोज कुमार ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा लिखकर लाना बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री रघुवीर को पुलिस थाने में सिपाही के पद पर होना बताया एंव श्री रघुवीर, कानिस्टेबल पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो व मजीद दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत लेन-देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी-सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, दिनांक 14.06.2024 परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत लेनदेन का बनना पाये जाने पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री मनोज कुमार को डीवीआर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई व श्री मनोज कुमार हैड कानि. नं. 134 का परिवादी श्री मनोज कुमार से परिचय करवाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री मनोज कुमार हैड कानि. को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। परिवादी श्री मनोज कुमार के चाहेनुसार रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री मनोज कुमार हैड कानि.. के साथ परिवादी श्री मनोज कुमार को मुनासिब हिदायत दी जाकर समय 01.30

पीएम पर रवाना लक्ष्मणगढ किया गया। उसी दिन श्री मनोज कुमार हैड कानि. उपस्थित कार्यालय आया एंव डिवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं एंव परिवादी मनोज कुमार एसीबी कार्यालय से रवाना होकर कस्बा लक्ष्मणगढ में पहुचे जहां पहँुचे, जहॉ परिवादी ने संदिग्ध आरोपी श्री रघुवीर, कानिस्टेबल से जरिये दुरभाष सम्पर्क करने की कोशीश की सम्पर्क नही हो पाया। तत्पश्चात दिनांक 20.06.2024 को परिवादी श्री मनोज कुमार ने जरिये दुरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज मेरी श्री रघुवीर, कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर से बातचीत हुई है, जिसने मुझे आज थाने पर बुलाया है। मैं आज पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में श्री रघुवीर, कानिस्टेबल से जाकर मिलुगा तो वो मेरे से रिश्वती राशि की मांग करेगा। इसलिये आप श्री मनोज कुमार हैड कानि. को डीवीआर देकर मेरे पास लक्ष्मणगढ भिजवा दो ताकि आज मैं श्री रघुवीर, कानिस्टेबल से मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मनोज कुमार को हिदायत मुनासीब की तथा श्री मनोज कुमार हैड कानि. नं. 134 को समझाईश कर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर कार्यालय से हिदायत मुनासिंब कर परिवादी श्री मनोज कुमार के पास लक्ष्मणगढ जाने के लिए समय 2.00 पीएम पर रवाना किया गया। उस दिन रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन होने के पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार ने जरिये दुरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि "श्री मनोज कुमार हैड कानि. मुझे लक्ष्मणगढ बस स्टेण्ड पर मिल गये थे। हम दोनो बस स्टेण्ड से रवाना होकर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के पास पहँुचने पर श्री मनोज कुमार हैड कानि. ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालु कर मुझे सुपुर्द कर दिया। डीवीआर को लेकर मैं पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के अन्दर जाकर श्री रघुवीर, कानिस्टेबल से मिला तो उसने कहां कि तेरे खिलाफ जो हाथरस में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका निस्तारण करवा दुगां। श्री रघुवीर, कानिस्टेबल ने हाथरस में दर्ज मुकदमें में मेरा नाम श्री मनोज, युपी पुलिस के मार्फत हटवाने के नाम पर मेरे से 7 हजार रूपये देने की कहीं। जिसको मैंने रूपये एक-दो दिन में देने की कही है। मेरे को जरूरी कार्य होने से मैं आपके कार्यालय में नही आ सकता मैं कल सुबह आपके कार्यालय में आ जाउंगा । जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को मुनासीब हिदायत की तथा श्री मनोज कुमार हैड कानि. को परिवादी श्री मनोज कुमार को लक्ष्मणगढ में ही छोड़कर कार्यालय में आने की हिदायत की। कुछ समय पश्चात श्री मनोज कुमार हैड कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर परिवादी के जरिये मोबाईल फोन बताये गये कथनों की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर को चालु कर सुना तो कानि. एवं जरिये दुरभाष परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित आलमारी में रखा। तत्पश्चात दिनांक 21.06.2024 को परिवादी श्री मनोज कुमार उपस्थित कार्यालय आया एंव मन् पुलिस निरीक्षक को दिनांक 20.06.2024 को जरिये दुरभाष बताये कथनो की ताईद करते हुये बताया कि श्री रघुवीर, कानिस्टेबल पुलिस थाना लक्ष्मणगढ ने 07 हजार रूपये रिश्वति राशि मेरे को आज देने की कही थी। मेरे पास रूपयो का बदोबस्त नही हुआ है तथा दो दिन मैं कार्य से अजमेर जाउंगा। दिनांक 24.06.2024 सोमवार को मैं आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले 7,रिश्वत में दिये जाने वाले 7000 रूपये की व्यवस्था करके आपके पास आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को मुनासीब हिदायत कर समय 10.30 एएम पर रवाना किया। तत्पश्चात दिनांक 24.06.2024 को परिवादी श्री मनोज कुमार उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी श्री मनोज कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे घर आवश्यक कार्य होने से मेरे को गॅाव जाना है। इसलिये मैं आज अग्रिम कार्यवाही नही करवा सकता मैं सुबह 08.00 एएम पर आपके पास उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। तलवीदा स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र कुमावत एवं श्री भवानी सिंह वरिष्ठ सहायकगण, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सीकर को दिनांक 25.06.2024 को सुबह 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.06.2024 को परिवादी श्री मनोज कुमार एवं स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र कुमावत एवं श्री भवानी सिंह वरिष्ठ सहायकगण, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सीकर के उपस्थित कार्यालय आने पर गवाहान का परिचय पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री मनोज कुमार एवं ब्यूरो स्टॅाफ से करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार को हिदायत देने पर आरोपी श्री रघुवीर, कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रूपये के 14 नोट कुल 07,थाना लक्ष्मणगढ जिला सीक को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पॅाच पाँच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये पेश किये । जिनके नम्बर फर्द पेशकशी में अकिंत करवाकर समस्त नोटों पर श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री भवानी सिंह से परिवादी श्री मनोज कुमार की जामा तलाषी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 7 ल लगे 7,लगे 7000 रूपयों के नोट श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेब में रखे पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन

नम्बर से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर पर मिस कॅ०ाल देकर ईषारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमे थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाऊडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्षन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 10 व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की दूसरी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री मनोज कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार ने बताया कि मैंने गोपनीय रूप से मालुम किया है कि श्री रघुवीर, कानिस्टेबल पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में उपस्थित है। जिस पर परिवादी के चाहेनुसार समय 9.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रवीन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान श्री भवानी सिंह एवं श्री धमेन्द्र कुमावत एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री मूलचन्द हैड कानि.123, श्री मनोज कुमार हैड कानि. 134, श्रीमती सुनिता हैड कानि. 43, श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. 87, श्री कैलाश चन्द नं. 568, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेश चन्द कानि. चालक मय सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के एवं परिवादी श्री मनोज कुमार एवं श्रीमती मंजु मकानि. 483 को परिवादी की स्कुटी के रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 20.06.2024 का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड आलमारी में से निकालकर मय टेप बाक्स एंव लैपटाप मय प्रिन्टर साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ से 500 मीटर पहले पहॅुचकर वाहनो को साईड में रूकवाकर परिवादी श्री मनोज कुमार को हिदायत मुनासिंब कर आरोपी श्री रघुवीर, कानिस्टेबल के पास पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के इशारे के इन्तजार में पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के बाहर फतेहपुर साईड में करीब 20 मीटर दूर वाहनो में मुकिम हुआ। समय 10.25 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी मनोज कुमार द्वारा अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतत्र गवाहान मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के बाहर चाय की दुकान के पास बायी तरफ पहॅुचे। जहॅा परिवादी मनोज कुमार के पास पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति खड़ा था, परिवादी मनोज कुमार ने डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे बन्द कर मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी श्री मनोज कुमार ने अपने पास वर्दी में खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये "श्री रघुवीर कानिस्टेबल है जिन्होने अभी-अभी मेरे से पाउडर लगे रिश्वत राशि 7000 रूपये अपने हाथो में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की सामने की बायीं जेब में रख लिये।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पुलिस की वर्दी पहने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम श्री रघुवीर मीणा पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल मीणा जाति मीणा उम्र 31 वर्ष निवासी कुशलपुरा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नं. 1185, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर होना बताते हुये कहा कि "मैनें मेरे लिए इनसे किसी प्रकार के पैसे नही मांगे, इन्होने 7000 रूपये श्री मनोज कुमार एचसी पुलिस थाना कोतवाली नगर हाथरस जिला हाथरस, उतरप्रदेश को देने के लिए मुझे दिये है जो मेरी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में है।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रघुवीर मीणा कानिस्टेबल के मोबाईल नं. से श्री मनोज कुमार, एचसी पुलिस थाना कोतवाली नगर हाथरस के मोबाईल नं. 7060344934 पर समय 10.37 एएम पर कॉल लगवाकर मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई तो श्री मनोज कुमार, एचसी पुलिस थाना कोतवाली नगर हाथरस ने पॅाच हजार रूपये स्वंय के मोबाईल नं. पर फोन पे करने एंव दो हजार रूपये श्री रघुवीर मीणा कानि. को स्वंय के लिए रखने की कही। उक्त वार्ता को डिवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वती राशि आरोपी श्री रघुवीर मीणा कानिस्टेबल द्वारा प्राप्त कर लेने की पुष्टि होने पर आरोपी का दाहिना हाथ कलाईयो के उपर से श्री रामनिवास कानि. 485 से एवं बॅाया हाथ श्री मनोज कुमार हैड कानि. नं. 134 से पकड़वाया जाकर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के भवन में पहॅुचे जहॅा पुलिस थाने के एक सभागार कमरे में अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10 के दोनो हाथो एवं दो प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर

गिलासो में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल के बाये हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एंव आर-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल-2 से सील्ड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि पेश करने की हिदायत देने पर श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल ने अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बायी जेब से पॅ०ाच-पॅ०ाच सौ रूपये के नोटो की थई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री धमेन्द्र कुमावत से गिनवाया गया तो कुल 7000 रूपये के नोट पाये गये। उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर निम्नानुसार अंकित है- 1-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9DE536385 2-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4HT997182 3-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3GL748771 4-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9SU421741 5-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9CV497536 6-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3DN268445 7-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8CN942455 8-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CG225574 9-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7CB178685 10-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4LR530353 11-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EF946644 12-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2PU520061 13-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3WH423638 14-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FC792213 उपरोक्त समस्त कुल 7000 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल को ससम्मान दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट को पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट निकालकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द हैड कानि. के दोनों हाथों एवं एक नये प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल की पहनी हुई पेन्ट की सामनें की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी-1 एंव पी-2 अंकित किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो कुछ नहीं पाया गया। आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल की उक्त पेन्ट बरंग खाकी की सामने की बायी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे़ की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "ए" अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल को परिवादी से रिश्वती राशि लेने बाबत पुछा तो उसने बताया कि "दिनांक 11.06.2024 को पुलिस थाना कोतवाली नगर हाथरस जिला हाथरस, उतरप्रदेश के श्री मनोज कुमार एचसी नं. 89 हमारे पुलिस थाने पर आये तब बीट कानिस्टेबल श्री नरेन्द्र के थाने पर मौजुद नही होने के कारण मैं व आमदा एचसी मनोज कुमार परिवादी श्री मनोज कुमार के गॅ०ाव नरोदड़ा गये थे, जहॅ०ा परिवादी श्री मनोज कुमार के नही मिलने पर थाने पर वापिस आ गये थे। कुछ समय बाद परिवादी श्री मनोज कुमार पुलिस थाने पर आ गया था। तब श्री मनोज कुमार एचसी पुलिस थाना हाथरस ने मेरे को कहां था कि मनोज कुमार से दस हजार रूपये लेकर मेरे को भेज देना। "मौके पर ही परिवादी मनोज कुमार ने श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "श्री रघुवीर जी झुठ बोल रहे है, दिनांक 11.06.2024 को पुलिस थाना हाथरस के श्री मनोज कुमार हवलदारजी पुलिस थाने पर आये थे तब मैं उनसे पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पर मिला तो श्री रघुवीर जी उनके साथ थे तथा इन दोनो ने मेरे को डरा धमकाकर मेरे विरूद्ध हाथरस थाने में दर्ज फ्रोड के मुकदमें में गिरफतार करने की धमकी दी थी। तब हाथरस थाने के श्री मनोज कुमार हवलदार जी ने मेरे से दस हजार रूपये देने की कही थी। दिनांक 20.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जब मैं पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में श्री रघुवीर जी कानिस्टेबल से मिला तो इन्होने पुलिस थाना हाथरस में मेरे विरूद्ध फ्रोड के मुकदमें में एफआर लगवाने की एवज में श्री मनोज कुमार हवलदार हाथरस के लिए 7000 रूपये रिश्वत देने की बात पर सहमत हुये थे, उसी के अनुसरण में मैनें इन्हे आज पाउडर लगी रिश्वती राशि 7000 रूपये दिये है। तत्पश्चात आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल से परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना हाथरस में दर्ज फ्रोड के कोई कागजात होने के सम्बन्ध में पुछने पर कोई कागजात नही होना बताया केवल थाने के रोजनामचे में आमद रवानगी रपट अकिंत की गई थी। इस पर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के रोजनामचा आम की रपट संख्या 24 दिनांक 11.06.2024 की प्रमाणित प्रति जिसमें एचसी श्री मनोज कुमार नं. 89 की आमद रवानगी अकिंत है। प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। श्री रघुवीर मीणा कानिस्टेबल नं. 1185, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा

7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 120 बी भादस में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नियमानुसार फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय 1.20 पीएम पर परिवादी श्री मनोज कुमार द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.06.2024 को आरोपी श्री रघुवीर, कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री मनोज कुमार, हैड कानि. 134 से कार्यालय के लेपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता को सुना जाकर वार्ता का फर्द रूपान्तरण एंव हिन्दी अनुवाद श्री मनोज कुमार हैड कानि. से करवाया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री मनोज कुमार ने स्वंय की व आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल नं. 1185 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॉप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॉपी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ADATA 32 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री मनोज कुमार, हैड कानि. से FTK Imager से सॉफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजीटल वॉईस रिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड ADATA 32 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "बी-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लास्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "बी-1" एवं "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॅाईस रिकार्डर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री मनोज कुमार द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 25.06.2024 को आरोपी श्री रघुवीर, कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल वॅाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था एंव दिनांक 25.06.2024 को समय 10.37 एएम पर दौराने रिश्वत लेनदेन आरोपी श्री रघुवीर मीणा कानिस्टेबल के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री मनोज कुमार, एचसी पुलिस थाना कोतवाली नगर हाथरस के मोबाईल नं. [redacted] पर कॅाल लगवाकर मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को डिवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी मनोज कुमार एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री मनोज कुमार, हैड कानि. 134 से कार्यालय के लेपटाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ताओ को सुना जाकर वार्ता का फर्द रूपान्तरण एंव हिन्दी अनुवाद श्री मनोज कुमार हैड कानि. से करवाया गया। रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता में परिवादी श्री मनोज कुमार ने स्वंय की व आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल नं. 1185 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॉप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॅापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॅाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड SANDISK ULTRA 32 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री मनोज कुमार, हैड कानि. से FTK Imager से सॉफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजीटल वॅाईस रिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड SANDISK ULTRA 32 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "सी-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "सी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लास्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "सी-1" एवं "सी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॅाईस रिकार्डर दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री मनोज कुमार को रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रघुवीर मीणा मय जप्त शुदा वजह सबुत के पुलिस थाना लक्ष्मणगढ से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहॅूचा। प्रकरण का जप्त शुदा वजह सबुत माल मुताबिक फर्द जमा मालखाना करवाया गया। की गई कार्यवाही से आरोपी श्री रघुवीर मीणा पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल मीणा जाति मीणा उम्र 31 वर्ष निवासी कुशलपुरा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नं. 1185, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चतरा, निवासी गांव श्यौरावली, पुलिस थाना डीग भरतपुर राज0 हाल मुख्य आरक्षक नं. 89 नागरिक पुलिस, पुलिस थाना

कोतवाली जनपद-हाथरस उत्तरप्रदेश के साथ आपराधिक षंडयत्र के तहत आपस में मिलीभगत कर परिवादी श्री मनोज कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली नगर हाथरस जिला हाथरस, उत्तरप्रदेश में दर्ज अपराध संख्या 143/2023 में एफआर लगाने की एवज में दिनांक 20-06-2024 को आरोपी श्री रघुवीर मीणा कानि द्वारा 7000 रूपये रिश्वत की मॅाग करना तथा मांग के अनुसरण मे दिनांक 25.06.2024 को आरोपी श्री रघुवीर मीणा, कानिस्टेबल नं. 1185, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा 7000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना एंव दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रघुवीर मीणा कानिस्टेबल के मोबाईल नं. से श्री मनोज कुमार, एचसी नं. 89 पुलिस थाना कोतवाली नगर हाथरस के मोबाईल नं. पर समय 10.37 एएम पर कॅाल लगवाकर मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई तो श्री मनोज कुमार मुख्य आरक्षक नं. 89 नागरिक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली जनपद-हाथरस उत्तरप्रदेश ने पॅाच हजार रूपये स्वयं के मोबाइल नम्बर पर फोन पे करने एवम दो हजार रूपये श्री रघुवीर मीणा कानि को स्वयं के लिये रखने की कहीं आरोपीगण श्री रघुवीर मीणा पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल मीणा जाति मीणा उम्र 31 वर्ष निवासी कुशलपुरा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नं. 1185, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर एंव श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चतरा, निवासी गांव श्यौरावली, पुलिस थाना डीग भरतपुर राज0 हाल मुख्य आरक्षक नं. 89 नागरिक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली जनपद-हाथरस उत्तरप्रदेश का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120बी भादस की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण श्री रघुवीर मीणा पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल मीणा जाति मीणा उम्र 31 वर्ष निवासी कुशलपुरा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नं. 1185, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर एंव श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चतरा, निवासी गांव श्यौरावली, पुलिस थाना डीग भरतपुर राज0 हाल मुख्य आरक्षक नं. 89 नागरिक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली जनपद-हाथरस उत्तरप्रदेश के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुरेश चन्द) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1-श्री रघुवीर मीणा पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल मीणा जाति मीणा, निवासी कुशलपुरा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नं. 1185, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर एंव 2-श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चतरा, निवासी गांव श्यौरावली, पुलिस थाना डीग भरतपुर राज0 हाल मुख्य आरक्षक नं. 89 नागरिक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली जनपद-हाथरस उत्तरप्रदेश के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ईमाइल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 421 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 630-34 दिनांक 26.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,जयपुर क्रम संख्या 2, जयपुर। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर। 3 पुलिस अधीक्षक,जनपद-हाथरस, उत्तरप्रदेश। 4 पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4 अतरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ISMAIL KHAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/06/2024 19:1

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	24/07/1993				
2	Male	14/07/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)